न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
08 / 22	एफएसएस एक्ट, 2006	15 / 09 / 2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

बनाम —आवेदक

1. विष्णु सिंह राजपूत पुत्र श्री भोमपाल ,उम्र 33 वर्ष, जाति राजपूत निवासी मेठी की बगीची के पास, चूलीगेट गंगापुर सिटी (एफबीओ व मालिक) –फर्म – राजपूत मिष्ठान भण्डार ,बालाजी चौक के पास ,गंगापुर सिटी।
2. भोमपाल सिंह राजपूत पुत्र श्री सोहन सिंह राजपूत ,उम्र 57 वर्ष, (मालिक) मैसर्स – राजपूत मिष्ठान भण्डार ,बालाजी चौक के पास ,गंगापुर सिटी ।

—अभियुक्तागण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 01/05/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा दिनांक 31.10.2021 को मैसर्स राजपूत मिष्ठान भण्डार , बालाजी चौक के पास गंगापुर सिटी का निरीक्षण किया। वहां निरीक्षण के दौरान पाया कि लगभग 170 लीटर भैंस का दूध बिकी हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त भैस का दूध में से 2 लीटर भैस का दूध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता विष्णु सिंह राजपूत को 100/– (सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 2 किलों भैस का दूध का बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं अलग से सील्ड लिफाफे में तथा अलग से दो प्रतियां फार्म नम्बर 6 की अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री गजानन्द वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों में एक खाकी कागज में लेपट कर कागज के कोनों पर गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2021/2598 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1636/एक्ट/2021 /1516 दिनांक 22.11.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक (**Substandard**) प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1636/एक्ट/2021 /1516 दिनांक 22.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक (**Substandard**) खाद्य वस्तु भैस का दूध का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य

अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये समन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्त खुले दूध का विक्रय नहीं करता है। अभियुक्त मिठाई बनाने का कार्य करता है। तत्कालीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त से घन की मांग की गई, अभियुक्त द्वारा मना किए जाने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पी०सी०जैन द्वारा दूध के सैम्पल में नियम से अधिक मात्रा में फार्मेलिन डाला गया और गवाहान से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल दिनांक 31.10.2021 को लिया गया था। जबकि उक्त भैस के दूध की जांच 22/11/2021 को 20 दिवस पश्चात् की गई। जो जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधिक दिनों तक फार्मेलिन मिश्रित दूध स्टोर रहने से दूध में मिल्क फेट कम आया है। जिसमें अभियुक्त की कोई गलती नहीं है. साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1636/एक्ट/2021/1516 दिनांक 22.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक (Substandard) खाद्य वस्तु भैस का दूध का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है। अभियुक्तगण ने उक्त भैस का दूध की जांच 20 दिवस के पश्चात होने का जो प्रश्न उठाया गया है उस संबंध में आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त संख्या 01 व 2 की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 01/05/2025. को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी